उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा (7) अनुभाग

संख्या- 5303 /15-7-97

लखनऊ : दिनांक : 18 दिसम्बर, 1997

सेवा में, अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ

इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 16-ङ, 16-च और 16-चच के अधीन विनियम के अध्याय-दो के विनियम 6(1) के संशोधन संबंधी अधिसूचना संख्या- यू0ओ0 83/15-7-97-3073/96 (शिक्षा-8), दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 का हिन्दी रूपान्तर संलग्न है।

2- अनुरोध है कि संलग्न अधिसूचना को दिनांक 18 दिसम्बर, 1997 के असाधारण गजट के विधिवायी परिशिष्ट 4 खण्ड (क) में प्रकाशित करें तथा उसकी 100 प्रतियां शिक्षा अनुभाग-7 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। असाधारण गजट में संदर्भगत अधिसूचना को प्रकाशित करने हेतु सचिव (मा0) शिक्षा की अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

संलग्नक :- उक्तवत्

(अशोक गांगुली)
उपसचिव।

पृ0सं0 5303 (1)/15-7-97 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अधिसूचना की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग, इलाहाबाद।
4- समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक), उत्तर प्रदेश।
6- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
7- शिक्षा शाखा के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(अशोक गांगुली)
उपसचिव।

उत्तर प्रदेश सरकार

शिक्षा (7) अनुभाग

संख्या-यू0ओ0 83/15-7-97-3073/96 (शिक्षा-8)

लखनऊ : दिनांक : 18 दिसम्बर, 1997

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार की राय में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव, अब, इन्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1921) की धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 16-ङ, 16-च और 16-चच के अधीन विनियम के अध्याय दो के विनियम 6(1) को निम्न प्रकार उपान्तरित किया जायेगा :-

उपान्तरण

उपर्युक्त विनियम में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विनियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिये गये विनियम रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित विनियम
6(1) जहाँ विनियम 5 के अधीन यथा अवधारित पूर्वक्ता श्रेणी में या एल0टी0 श्रेणी में कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा भरी जानी हो, वहाँ यथा स्थिति एल0 टी0 या सी0टी0 श्रेणी में कार्यरत ऐसे सभी अध्यापकों के संबंध में, जिनकी उक्त रिक्ति होने के दिनांक को न्यूनतम पाँच वर्ष की लगातार मौलिक सेवा हो, प्रबन्ध समिति द्वारा पदोन्नति के लिए उसके निमित उनके आवेदन किये बिना ही विचार किया जायेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वे उस विषय में जिसमें पूर्वक्ता श्रेणी में या एल0टी0 श्रेणी में अध्यापक की आवश्यकता हो,	6(1) जहाँ विनियम 5 के अधीन यथा अवधारित पूर्वक्ता श्रेणी में या एल0टी0 श्रेणी में कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा भरी जानी हो, वहाँ यथा स्थिति एल0 टी0 या सी0टी0 श्रेणी में कार्यरत ऐसे सभी अध्यापकों के संबंध में, जिनकी उक्त रिक्ति होने के दिनांक को न्यूनतम पाँच वर्ष की लगातार मौलिक सेवा हो, प्रबन्ध समिति द्वारा पदोन्नति के लिए उसके निमित उनके आवेदन किये बिना ही विचार किया जायेगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वे उस विषय में जिसमें पूर्वक्ता श्रेणी में या एल0टी0 श्रेणी में अध्यापक की आवश्यकता हो,

2

अध्यापन के लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखते हों ।

अध्यापन के लिए विहित न्यूनतम अर्हता रखते हों ।

परन्तु सी०टी० ग्रेड के ऐसे अध्यापक जो प्रशिक्षित स्नातक हैं और 1-1-86 के पूर्व 10 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर चुके हों या उस तिथि के बाद जिस तिथि को 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर लेते हैं, 1-1-86 से या उसके बाद सी०टी० ग्रेड में 10 वर्ष की सेवा पूरी करने की तिथि से, जैसी भी स्थिति हो, एल०टी० ग्रेड में संविलीन समझे जायेंगे और संविलियन की उक्त तिथि से वे एल०टी० ग्रेड में मौलिक रूप से नियुक्त माने जायेंगे ।

आज्ञा से,

(अखण्ड प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव ।

उत्तर प्रदेश सरकार
शिक्षा अनुभाग-7
संख्या-4814/15-7-1(145)/1995
लखनऊ: दिनांक: 27 दिसम्बर, 1995

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1982 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1982) की धारा 35 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, 1995 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) नियमावली, 1995

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) नियमावली, 1995 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम 11 का संशोधन 2- उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग नियमावली, 1995 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 11 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ-1 वर्तमान उप नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम
(1) प्रबन्धतंत्र अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसार रिक्तियों की संख्या का अवधारण करेगा और उन्हें निरीक्षक के माध्यम से आयोग को यहां दी गयी रीति से अधिसूचित करेगा ।	11(1) प्रबन्धतन्त्र, अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के अनुसार, रिक्तियों की संख्या का अवधारण करेगा और उन्हें निरीक्षक के माध्यम से आयोग को यहां दी गयी रीति से अधिसूचित करेगा ।

.....2

नियम 12 का संशोधन

3- उक्त नियमावली के नियम 12 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1 वर्तमान उप नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(2) आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और यथास्थिति, परिशिष्ट ख, ग, या घ में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता बिन्दुओं के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिये सूचियाँ तैयार करेगा, और प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक (एल०टी०) श्रेणी के पद के संबंध में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने अधिकतम गुणवत्ता बिन्दुओं को प्राप्त किया हो, इस रीति से बुलायेगा कि अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या के पांच गुने से कम न होगी।	(2) आयोग आवेदन पत्रों की समीक्षा करेगा और, यथास्थिति, परिशिष्ट ख, ग, या घ में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता बिन्दुओं के आधार पर प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिये सूचियाँ तैयार करेगा और प्रवक्ता और प्रशिक्षित स्नातक (एल०टी०) श्रेणी के पद के संबंध में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को, जिन्होंने अधिकतम गुणवत्ता बिन्दुओं को प्राप्त किया हो, इस रीति से बुलायेगा कि अभ्यर्थियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या के पांच गुने से अधिक न होगी।

आज्ञा से,

इ० प्र० रैरन

(डा० इन्दु प्रकाश रैरन)
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN

Shiksha Anubhag - 7

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4814 /15-7-1(145)/95, dated 27 December, 1995.

NOTIFICATION

No. 4814 /15-7-1(145)/95

Lucknow : Dated 27 December, 1995

In exercise of the powers under section 35 of the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission Act, 1982 (U.P. Act No. 5 of 1982) the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission Rules, 1995.

THE UTTAR PRADESH SECONDARY EDUCATION SERVICES COMMISSION (AMENDMENT) RULES, 1995

Short title and commencement.

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of rule 11

2. In the Uttar Pradesh Secondary Education Services Commission Rules, 1995 hereinafter referred to as the said rules, in rule 11 for sub rule (1) set out in Column 1 below, the sub-rule as set out in Column 2, shall be substituted, namely :-

Column 1 Existing sub-rule	Column 2 Sub-rule as hereby substituted
11.(1) The Management shall determine the number of	11.(1) The Management shall determine the number of

- - - - 2

vacancies in accordance with sub-section (1) of section 15 of the Act and notify them through the Inspector, to the Commission in the manner hereinafter provided :

vacancies in accordance with sub-section (1) of section 16 of the Act and notify them through the Inspector, to the Commission in the manner hereinafter provided :

Amendment of rule 12

3. In rule 12 of the said rules, for sub-rule (2) set out in Column I below the sub-rule as set out in Column II shall be substituted, namely :-

Column I Existing sub-rule	Column II Sub-rule as hereby substituted
(2) The Commission shall scrutinize the applications and prepare lists for each category of posts on the basis of quality points specified in Appendix B,C or D, as the case may be, and having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizens in respect of the post of the teacher in lecturers and trained graduates (L.T.) grade, call for interview such candidates who have secured the maximum quality points in such manner that, the number of candidates shall not be less than five times of the number of vacancies.	(2) The Commission shall scrutinize the applications and prepare lists for each category of posts on the basis of quality points specified in Appendix B,C or D, as the case may be, and having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes of citizens in respect of the post of the teacher in lecturers and trained graduates (L.T.) grade, call for interview such candidates who have secured the maximum quality points in such manner that, the number of candidates shall not exceed five times than the number of vacancies.

By Order,

(M.P. Arun)
Principal Secretary.